(108)

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 II/निगरानी/श्योपुर/भू0रा0/2018/1623

सुरेन्द्रसिंह पुत्र रंजीतसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम काशीपुर हाल निवासी श्योपुर तह0 व जिला श्योपुर.........................आवेदक

श्री ...... द्वारा आज दि. 7/3/18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16/3/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1—म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर महो0 श्योपुर

2—श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर

3—तहसीलदार महोदय श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर

.........................अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 26/07/1997

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर

के प्र0क0 121/96—77 X वी/121 निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है —

1— यह कि ग्राम काशीपुर तह0 व जिला श्योपुर में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्र0 188/1 रकवा 8 वीघा पर आवेदक दिनांक 02/10/1984 के पूर्व से काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है।

2— यह कि आवेदक द्वारा विवादित भूमि के पट्टे हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्र0क0 200/86—87 X अ/19 पर पंजीबद्व किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक 14/08/87 द्वारा आवेदक को विवादित भूमि पर म0प्र0 ग्रामों की दखल रहित भूमि पर भू स्वामी स्वत्व प्रदाय ( विशेष उपबन्ध अधिनियम) 1984 द्वारा भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये गये।

3— यह कि कलेक्टर महोदय मुरैना द्वारा किसी शिकायती आवेदन पत्र पर से अपने अर्द्व शासकीय पत्र कमांक रेमो0/97 मुरैना दिनांक 22/07/97 से अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को यह निर्देशित किया कि ग्राम काशीपुर की भूमि सर्वे क0 188/3 रकवा 14 बीघा के पट्टे अबैध रूप से तहसीलदार श्योपुर द्वारा अपने प्र0क0 200/86—87 X अ/19 से जारी किये है। उक्त

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - दो/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2018/1623

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15/02/2019 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>सदस्य<br><br>**<u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u>** | |